

शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग,
शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषय:- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 20वीं बैठक दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को आयोजित की गई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की 20वीं निष्पादक समिति बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर अवलोकनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(जस्सासम चौधरी)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज (राजस्थान) शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 22 गोदाम पुलिया के पास, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त /निदेशक, महिला सशक्तिकरण, झालाना इंगरी, जयपुर।
8. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक, (आई.ई.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
10. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
11. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
12. निजी सहायक, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
13. निजी सहायक, निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
14. निजी सहायक, निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
15. निजी सहायक अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
16. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
17. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
18. नियंत्रक वित्त, रामाशिप, जयपुर।
19. अधीक्षण अभियन्ता, रामाशिप, जयपुर।
20. उपायुक्त प्रथम / द्वितीय, रामाशिप, जयपुर।
21. राज्य समन्वयक, रामाशिप, जयपुर।
22. उपनिदेशक / सहायक निदेशक, समस्त रामाशिप, जयपुर को देकर लेख है कि अपनी शाखा से सम्बन्धित अनुपालना सुनिश्चित करें।
23. उपनिदेशक/शाला दर्पण प्रभारी, कार्यालय उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
24. एस.आई.एस. प्रभारी को देकर लेख है कि परिषद् की वेब पोर्टल पर अपलोड करावें।
25. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद निष्पादक समिति की 20वीं बैठक

कार्यवाही—विवरण

दिनांक-22 दिसम्बर 2016



डॉ० एस.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302017, दूरभाष: 0141-5192255

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त—दिनांक 22.12.2016

शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में निष्पादक समिति की 20वीं बैठक दिनांक 22.12.2016 को मंथन सभागार, शिक्षा संकुल जयपुर में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनु. 'अ' पर संलग्न हैं। बैठक में रामाशिप. द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों के संक्षिप्त विवरण की प्रस्तुति पश्चात् एजेण्डा वार विचार-विमर्श किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	प्रस्ताव	निर्णय																																																			
01.	प्रस्ताव संख्या-01 निष्पादक समिति की दिनांक 30.08.2016 को आयोजित 19वीं बैठक में लिये गये निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का अनुमोदन एवं अनुरोध:- दिनांक 30.08.2016 को आयोजित निष्पादक समिति की 19वीं बैठक में लिये गये निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति का विवरण (परिशिष्ट-1) में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	अनुमोदन किया गया																																																			
02.	प्रस्ताव संख्या-02 शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के पत्रांक 29.08.2016 के निर्देशानुसार पीपीपी ड्राफ्ट पॉलिसी को सीएमएसी शिक्षा उप समूह की पांचवी बैठक में चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया। बैठक कार्यवाही विवरण की पालना में संशोधित कर ड्राफ्ट को निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। संलग्न :- (1) सीएमएसी मीटिंग मिनिट्स (2) नोटशीट की प्रति (3) आदेश दिनांक 29.08.2016	• अनुमोदित किया गया • संशोधित ड्राफ्ट राज्य सरकार को भिजवाये जाये।																																																			
03	प्रस्ताव संख्या-03 माननीया मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2016-17 की पालना में राज्य में सत्र 2016-17 से शैक्षणिक पिछड़े ब्लॉक्स के 63 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में से 61 मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक प्रति कक्षा 2 सैक्शन संचालित है जिनमें 6 सैक्शन हेतु निम्नानुसार राज्य सरकार द्वारा पद स्वीकृत है। (आदेश की प्रति संलग्न) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. of Existing Post (Sanctioned from State Govt.) in 71 Models schools</th><th>Grade Pay</th><th>No of post</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Principal</td><td>Grade Pay 6600</td><td>63</td></tr> <tr> <td>TGT(Hindi, Eng.Science, Maths, Social Science and Third language)</td><td>Grade Pay 4200</td><td>63*6=378</td></tr> <tr> <td>Computer Lab Incharge</td><td>Grade Pay 4200</td><td>63</td></tr> <tr> <td>UDC</td><td>Grade Pay 2800</td><td>63</td></tr> <tr> <td>LDC</td><td>Grade Pay 2400</td><td>63</td></tr> <tr> <td>Lib.</td><td>Grade Pay 4200</td><td>63</td></tr> <tr> <td>Pti cum Yoga Instructor By Placement Agency</td><td>Full Time</td><td>63</td></tr> <tr> <td>WET//Drawing/Music Instructor on work basis- By Placement Agency</td><td>Part Time</td><td>63*3=189</td></tr> <tr> <td>Peon by Placement agency</td><td>Full Time</td><td>63*4=252</td></tr> </tbody> </table> राज्य सरकार द्वारा सत्र 2014-15 से संचालित 66 तथा 2015-16 से संचालित 05 मॉडल स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा की कक्षाओं हेतु प्रति मॉडल स्कूल प्रति विषय 2 वरिष्ठ अध्यापक (टीजीटी) के पद स्वीकृत है। जिनका विषयवार विवरण निम्नानुसार है। (संलग्न:- आदेशों की प्रति) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>विषय</th><th>स्वीकृत पद</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>तृतीय भाषा</td><td>2</td></tr> <tr> <td>2</td><td>सामाजिक विज्ञान</td><td>2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>अंग्रेजी</td><td>2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>हिन्दी</td><td>2</td></tr> <tr> <td>5</td><td>गणित</td><td>2</td></tr> <tr> <td>6</td><td>विज्ञान</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	No. of Existing Post (Sanctioned from State Govt.) in 71 Models schools	Grade Pay	No of post	Principal	Grade Pay 6600	63	TGT(Hindi, Eng.Science, Maths, Social Science and Third language)	Grade Pay 4200	63*6=378	Computer Lab Incharge	Grade Pay 4200	63	UDC	Grade Pay 2800	63	LDC	Grade Pay 2400	63	Lib.	Grade Pay 4200	63	Pti cum Yoga Instructor By Placement Agency	Full Time	63	WET//Drawing/Music Instructor on work basis- By Placement Agency	Part Time	63*3=189	Peon by Placement agency	Full Time	63*4=252	क्र.सं.	विषय	स्वीकृत पद	1	तृतीय भाषा	2	2	सामाजिक विज्ञान	2	3	अंग्रेजी	2	4	हिन्दी	2	5	गणित	2	6	विज्ञान	2	• अनुमोदित किया गया • प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाये।
No. of Existing Post (Sanctioned from State Govt.) in 71 Models schools	Grade Pay	No of post																																																			
Principal	Grade Pay 6600	63																																																			
TGT(Hindi, Eng.Science, Maths, Social Science and Third language)	Grade Pay 4200	63*6=378																																																			
Computer Lab Incharge	Grade Pay 4200	63																																																			
UDC	Grade Pay 2800	63																																																			
LDC	Grade Pay 2400	63																																																			
Lib.	Grade Pay 4200	63																																																			
Pti cum Yoga Instructor By Placement Agency	Full Time	63																																																			
WET//Drawing/Music Instructor on work basis- By Placement Agency	Part Time	63*3=189																																																			
Peon by Placement agency	Full Time	63*4=252																																																			
क्र.सं.	विषय	स्वीकृत पद																																																			
1	तृतीय भाषा	2																																																			
2	सामाजिक विज्ञान	2																																																			
3	अंग्रेजी	2																																																			
4	हिन्दी	2																																																			
5	गणित	2																																																			
6	विज्ञान	2																																																			

आरटीई के तहत एक टीजीटी प्रति सप्ताह अधिकतम 36 कालांश ले सकता है। अतः एक टीजीटी 6 कालांश प्रतिदिन ले सकता है। जबकि विद्यालय के समय विभाग चक्र में 8 कालांश प्रतिदिन होते हैं। 2017-18 से 63 मॉडल स्कूलों में कक्षा 9 के 2 सेक्शन प्रारम्भ होने पर 4 कक्षाओं (6से 9) हेतु 8 सेक्शन हो जायेगे। मॉडल स्कूलों में शिक्षकों हेतु कार्यसमय 8 घंटा है सत्र 2016-17 में इन शिक्षकों द्वारा आरटीई के अर्न्तगत कमजोर विद्यार्थियों हेतु अतिरिक्त कालांश, कार्ययोजना तैयार करने, सहशैक्षणिक गतिविधियों हेतु एवं अंग्रेजी भाषा के विकास के कार्य में सहयोग प्रदान किया जा सकेगा तथा सत्र 2018-19 से कक्षा 10 संचालित होगी। अतः माध्यमिक कक्षाओं के 2-2 सेक्शन अनुसार शिक्षण व्यवस्था हेतु प्रति मॉडल स्कूल 6 TGT स्टाफ की निम्न विवरण अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता है।

SR.TR. (TGT)	1-Hindi
	1-English
	1-Math
	1-Science
	1-S.St
	1-Third language

अतः सत्र 2017-18 से 63 मॉडल स्कूलों की माध्यमिक कक्षाओं हेतु निम्नानुसार पदों के सृजन की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित है :-

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	ग्रेड पे	अनुमानित वार्षिक व्यय
1	वरिष्ठ अध्यापक/ TGT	378	9300-34800 ग्रेड पे 4200 (प्रतिनियुक्ति पर)	17.50 करोड़
			योग	17.50 करोड़

(पूर्व में दिनांक 05.11.2016 को उक्त पदों की स्वीकृति वित्त विभाग से लेने हेतु शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग को पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु निर्देशानुसार उक्त पदों को रामाशिप. के प्रशासनिक स्वीकृति (निष्पादन समिति, रामाशिप) में अनुमोदन उपरान्त प्रेषित किया जावे।)

अतः उल्लेखित विवरण अनुसार पदों की स्वीकृति हेतु निष्पादन समिति के समक्ष प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

04 प्रस्ताव संख्या-04

स्कूल लीडरशिप कार्यक्रम के तहत सत्र 2016-17 में 4200 प्रधानाचार्यों को 16 दिवसीय लीडरशिप प्रशिक्षण के लिए रमसा को 201.6 लाख का बजट प्राप्त हुआ है। (300/- प्रति व्यक्ति प्रति दिवस) इसमें से 3200 प्रधानाचार्यों को रमसा द्वारा तथा 1000 प्रधानाचार्यों को सीमेत राजस्थान द्वारा लीडरशिप प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की प्रक्रिया जारी है। सीमेत राजस्थान को लीडरशिप प्रशिक्षण हेतु 48.00 लाख रुपये स्थानान्तरित किये जा चुके हैं। शेष 153.6 लाख रुपये रमसा द्वारा लीडरशिप प्रशिक्षण पर व्यय किये जाने हैं। रमसा द्वारा आयोजित लीडरशिप प्रशिक्षण में 6 दिवसीय ऑन साईट सपोर्ट प्रशिक्षण का प्रावधान है। इस ऑन साईट सपोर्ट प्रशिक्षण में टी0एफ0 (सन्दर्भ व्यक्ति) विद्यालय में जाकर प्रधानाचार्य को अपेक्षित सहयोग करता है। इस हेतु टी0एफ0 को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं मानदेय दिया जाता है। गत वर्षों के अनुभवों के अनुसार इस ऑन साईट सपोर्ट में आवास एवं भोजन पर न्यून व्यय होने के कारण इस प्रशिक्षण में अन्य फेस टू फेस प्रशिक्षण की तुलना में आधी से भी कम राशि व्यय होती है। इस कारण वर्तमान वर्ष में फेस टू फेस प्रशिक्षणों (5+4+1 दिवस) हेतु नियमानुसार पूर्ण राशि (300/- रुपये प्रति दिवस प्रति व्यक्ति) तथा 6 दिवसीय ऑन साईट सपोर्ट हेतु आधी राशि जिलों को भिजवायी जा चुकी है (कुल 124.605 लाख रुपये)। इस वर्ष अनुमानित व्यय निम्नानुसार है -

लक्ष्य - 3200 प्रधानाचार्यों के 16 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु कुल व्यय योग्य राशि - 153.60 लाख रुपये।

क्र. सं.	गतिविधि	अनुमानित व्यय राशि (लाखों में)
1	माह मई, 2016 में नये टी0एफ0 के 5 दिवसीय प्रशिक्षण एवं पुराने टी0एफ0 के दो दिवसीय अभिमुखीकरण पर व्यय	4.40
2	जिलों को लीडरशिप प्रशिक्षण हेतु जारी राशि	124.60

अनुमोदित किया गया।

3	आगामी माहों में संभावित प्रशिक्षण / बैठक / अन्य पर अनुमानित व्यय राशि	5.00
	कुल संभावित व्यय	134.00

उपरोक्तानुसार लगभग $153.60 - 134.00 = 19.60$ लाख रुपये शेष रहने की संभावना है। इस बचत राशि में से निम्न दो गतिविधियां प्रस्तावित हैं—

1. **डॉक्यूमेंटेशन** — ब्रोशर प्रिंटिंग एवं लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म — अनुमानित राशि = 6.0 लाख रुपये
2. **अन्तर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण** — इसमें प्रत्येक संभाग से लीडरशिप प्रशिक्षण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले एक टी0एफ0 / प्रधानाचार्य (9 संभागी) को शामिल किया जायेगा। इस दल के साथ रामाशिप से दो अधिकारी सम्मिलित रहेंगे। इस प्रकार 11 व्यक्तियों के दल द्वारा अन्य राज्य में तीन दिवसीय शैक्षिक भ्रमण किया जायेगा, जिस पर अनुमानित व्यय निम्नानुसार है —

क्रस	मद		अनुमानित व्यय राशि
1	यात्रा व्यय	11 x 20,000	220000
2	आवास एवं भोजन	11 x 30,00 x 3	99000
3	अन्य गतिविधि		30000
	योग		349000

इस प्रकार उपर्युक्त दोनों गतिविधियों पर कुल राशि $6.00 + 3.49 = 9.49$ लाख रुपये व्यय होने की संभावना है, जो कि बचत राशि में से व्यय की जानी प्रस्तावित है।

प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

05

प्रस्ताव संख्या-05

स्कूल लीडरशिप कार्यक्रम के तहत विगत तीन वर्षों से संस्थाप्रधानों को लीडरशिप प्रशिक्षण प्रदान किया जाकर उनमें नेतृत्व क्षमता वृद्धि की जा रही है, जिससे वे विद्यालयों में गुणवत्तायुक्त कार्य का सम्पादन कर सकें। इन संस्थाप्रधानों को ट्यूटर फेसिलिटेटर (संदर्भ व्यक्ति) द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। ये ट्यूटर फेसिलिटेटर (संदर्भ व्यक्ति) प्रधानाचार्य स्तर के होते हैं। इन्हें प्रशिक्षण हेतु 400/- रुपये प्रतिदिन मानदेय का प्रावधान है। लीडरशिप प्रशिक्षण में ट्यूटर फेसिलिटेटर (संदर्भ व्यक्ति) द्वारा सत्रों के प्रारम्भ में तथा सत्रों के दौरान की जाने वाली गतिविधियों के लए आवश्यक तैयारी की जाती है। संदर्भित व्यक्तियों के स्तर को तथा कार्य को देखते हुए इनका मानदेय (400 रु.) बहुत कम है। इस कम मानदेय के कारण क्षेत्र के योग्य प्रधानाचार्य संदर्भित व्यक्ति के रूप में जुड़ना नहीं चाहते। चौथी निष्पादक समिति की बैठक दिनांक 19.04.2016 के अनुसार राज्य स्तर मॉड्यूल लेखन एवं संबंधित साहित्य सामग्री निर्माण हेतु मुख्य संदर्भित व्यक्ति का मानदेय 750/- रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तथा राज्य से बाहर आने वाले प्रशिक्षकों को 1000/- रुपये प्रतिदिन मानदेय का प्रावधान है। लीडरशिप प्रशिक्षण में संदर्भित व्यक्तियों का कार्य मॉड्यूल लेखन कार्य से किसी प्रकार कम नहीं है।

लीडरशिप प्रशिक्षण की गुणवत्ता रखने हेतु अच्छे संदर्भित व्यक्तियों को जोड़ने की नितान्त आवश्यकता है यह तभी संभव है जब इनके मानदेय में स्तरानुसार वृद्धि की जावे। इस हेतु मानदेय में निम्नानुसार वृद्धि प्रस्तावित है —

- राज्य स्तर के सन्दर्भ व्यक्ति का मानदेय — 1000 रु. प्रतिदिन
- अन्य संदर्भित व्यक्तियों का मानदेय— 750 रु. प्रतिदिन।

उपरोक्त के संबंध में प्रशिक्षणों में लगे संदर्भित व्यक्तियों के मानदेय में उपरोक्तानुसार वृद्धि हेतु 20वीं निष्पादक समिति बैठक में प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्तावित संशोधित दरों के अनुसार प्रशिक्षण मद के लिए RMSA के पीएबी 2017-18 के प्लान में प्रस्ताव MHRD को भिजवाया जाये।

06

प्रस्ताव संख्या-06

दिनांक 27.05.2016 को अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अधिकारियों के साथ राज्य के नव नियुक्त जिला शिक्षा अधिकारियों एवं डाइट प्रधानाचार्यों के फाउण्डेशन कोर्स से सम्बन्धित बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के कार्यवृत्तानुसार अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन के सहयोग से बेंगलूर में शैक्षणिक मुद्दों पर जिला शिक्षा अधिकारियों एवं डाइट प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक के

अनुमोदित किया गया।

	कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार रामाशिप द्वारा रामाशिअ की पीएबी 2016-17 के तहत जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत राशि 76500/- को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी भी उपमद पर व्यय किया जाने का उल्लेख है। अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन द्वारा 26 जिला शिक्षा अधिकारियों / डाईट प्रधानाचार्यों का 7 दिवसीय अकादमिक प्रशिक्षण बैंगलोर में दिनांक 06 से 12 अगस्त, 2016 तक किया जा चुका है। प्रशिक्षण उपरान्त अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 27.05.2016 की बैठक कार्यवृत्त के निर्णयानुसार तथा दिनांक 22 जुलाई, 2016 के पत्रानुसार 76500/- की राशि दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2016-17 के अनुसार शाला सिद्धि कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु 85 जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 300/- प्रति दिन प्रति व्यक्ति की दर से तीन दिन के लिए 76500/- रुपये (छियहत्तर हजार पाँच सौ रुपये) का प्रावधान है। शाला सिद्धि के एक दिवसीय कार्यशाला दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 को आयोजित की जा चुकी है, जिसमें 67 जिला शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारियों एवं 56 अन्य व्यक्तियों (माशि/प्राशि/ एसआईआईआरटी/डाईट/एसएसए/रमसा से) ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त दिनांक 15.11.2016 को 26 जिशिअ/डाईट प्रधानाचार्यों को ओटीएस, जयपुर में प्रशासनिक प्रशिक्षण के दौरान शाला सिद्धि सत्र में इसकी जानकारी एवं क्रियान्विति पर चर्चा की गई तथा दिनांक 08 व 09 दिसम्बर, 2016 को रमसा डीपीसी, एडीपीसी की संभागवार समीक्षा बैठक में एक सत्र शाला सिद्धि प्रशिक्षण का आयोजित किया गया। उक्त में से 26 जिशिअ को अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन के द्वारा बैंगलोर में एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिलवाया गया। उक्त प्रशिक्षण पर हुए व्यय के विरुद्ध अजीम प्रेमजी को टोकन मनी के रूप में 76500/- रुपये का भुगतान किया जाना है। निर्देशानुसार शाला सिद्धि कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये अधिकारियों की क्षमता अभिवर्द्धन हेतु 76500/- की राशि, अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन को उसके द्वारा कराये गये जिला शिक्षा अधिकारियों / डाईट प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण हेतु हस्तान्तरण किये जाने के लिए (दि० 27.05.2016 के कार्यवृत्त के अनुसार) प्रकरण को 20वीं निष्पादक समिति बैठक में प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
07	प्रस्ताव संख्या-07 राज्य में संचालित किये जा रहे मॉडल स्कूलों के सफल संचालन एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु वर्तमान में फील्ड की आवश्यकताओं के अनुसार आगे की नीति/ योजना/सुझाव तैयार करने हेतु गठित शैक्षणिक कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 06.10.2016 को आयोजित की गई। बैठक के कार्यवृत्त बिन्दु संख्या-20 के अनुसार प्रत्येक मॉडल विद्यालय में बाल मेला, कला उत्सव, वार्षिक उत्सव, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 02 अक्टूबर के आयोजन पर आंवर्ती मद में गतिविधि आधारित मद से आवश्यकता अनुसार (अधिकतम 5000/- रु. एक पर्व पर) खर्च किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई। तत्पश्चात उक्त की स्वीकृति अध्यक्ष, रामाशिप. एवं शासन सचिव, स्कूल एवं भाषा विभाग द्वारा प्रदान की गई। अतः कार्योत्तर स्वीकृति हेतु उक्त प्रस्ताव निष्पादन समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अनुमोदित किया गया।
08	प्रस्ताव संख्या-08 राज्य में संचालित किये जा रहे मॉडल स्कूलों के सफल संचालन एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु वर्तमान में फील्ड की आवश्यकताओं के अनुसार आगे की नीति/ योजना/सुझाव तैयार करने हेतु गठित शैक्षणिक कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 06.10.2016 को आयोजित की गई। बैठक के कार्यवृत्त बिन्दु संख्या-21 के अनुसार प्रत्येक मॉडल विद्यालय में रामाशिप. कलेण्डर द्वारा प्रावधित चार Excursion Trip में से एक Excursion Trip हेतु राज्य से बाहर भ्रमण (अधिकतम 1200 किमी.) हेतु प्रति विद्यार्थी 1000/- रु. की दर से अधिकतम 50 विद्यार्थियों हेतु कुल 50,000/- रु. एवं तीन अन्य विजिट के लिए 200/- रु. प्रति विद्यार्थी की दर से 50 विद्यार्थियों के लिए कुल 10,000/- रु. प्रति विजिट की राशि गतिविधि मद से 2016-17 में व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई। तत्पश्चात उक्त की स्वीकृति अध्यक्ष, रामाशिप. एवं शासन सचिव, स्कूल एवं भाषा	अनुमोदित किया गया।

	विभाग द्वारा प्रदान की गई। अतः कार्योत्तर स्वीकृति हेतु उक्त प्रस्ताव निष्पादन समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
09	प्रस्ताव संख्या-09 राज्य में संचालित किये जा रहे मॉडल स्कूलों के सफल संचालन एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु वर्तमान में फील्ड की आवश्यकताओं के अनुसार आगे की नीति/योजना/सुझाव तैयार करने हेतु गठित शैक्षणिक कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 06.10.2016 को आयोजित की गई। बैठक के कार्यवृत्त बिन्दु संख्या-22 के अनुसार प्रत्येक मॉडल विद्यालय के बीच के चौक व बाह्य परिसर में वाटिका व वृक्षारोपण हेतु पार्ट टाईम माली की व्यवस्था के लिए मासिक 3000/- रु. की राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा की। उक्त की स्वीकृति अध्यक्ष, रामाशिप एवं शासन सचिव, स्कूल एवं भाषा विभाग द्वारा तैयार की गई। उक्त कार्य हेतु मासिक 3000/-रु. की राशि विद्यालय के वेतन मद से एस.डी.एम.सी. की स्वीकृति से खर्च किया जावे। अतः पार्ट टाईम माली की व्यवस्था सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्य आधारित सेवाओं द्वारा की जानी प्रस्तावित है। प्रस्ताव निष्पादन समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अनुमोदित किया गया।
10	प्रस्ताव संख्या-10 माननीया मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 5 सितम्बर, 2016 को शिक्षक दिवस के अवसर पर दिये गये निर्देशों की अनुपालना में जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर कक्षा 9 से 12 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 199 दृष्टिहीन विद्यार्थियों को एन्ड्रोइड फोन प्रदान किया जाना है। एन्ड्रोइड फोन क्रय एवं उसके बाद प्रशिक्षण का कार्य एसएसए द्वारा किया जाना है। इस पर होने वाला अनुमानित व्यय 11000 प्रति सेट+1500 प्रशिक्षण-12500X199=2487500 का भुगतान रमसा द्वारा एस.एस. ए. को किया जाना है। इस हेतु आई.ई.डी.एस.एस. मद में अतिरिक्त राशि शेष नहीं है। अतः उक्त अनुमानित राशि का भुगतान रमसा के एम.एम.ई.आर. मद से करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव निष्पादन समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	● संबंधित व्यय राज0 प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर के मद से किया जा सकता है।
11	प्रस्ताव संख्या-11 सत्र 2016-17 के लिये राज्य में बालिकाओं हेतु 2015 आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाने हैं। इस हेतु प्रति शिविर 9000 रु. स्वीकृत है। प्रशिक्षणो हेतु प्रशिक्षित प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं है। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु 05 दिवसीय शिविर आयोजित किये जाने हैं, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु पृथक से कोई वित्तीय प्रावधान स्वीकृत नहीं है। प्रति शिविर स्वीकृत 9000/-रु. की राशि में ही प्रशिक्षक प्रशिक्षण व्यय समाहित किया जाना प्रस्तावित है। अतः 7500 रु. प्रति विद्यालय बालिका शिविर एवं 1500 रु. प्रति प्रशिक्षक प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	अनुमोदित किया गया।
12	प्रस्ताव संख्या-12 विषय:- एसआईक्यूई के अन्तर्गत मई-जून 2016 में माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्राथमिक कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण में पीने के पानी एवं कूलर तथा केआरपी के यात्रा भत्ता बिल भुगतान में हुए अतिरिक्त व्यय राशि की एमएमईआर मद से स्वीकृति बाबत। भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य कार्यालय द्वारा कूलर एवं पीने की पानी की अतिरिक्त व्यवस्था हेतु जिलों को निर्देशित किया गया था। जिलों में तदनुरूप जिलों में भीषण गर्मी में पीने पानी एवं कूलर की समुचित व्यवस्था की गई। केआरपी के यात्रा व्यय में अधिक राशि का भुगतान हुआ। पीने पानी एवं कूलर व्यवस्था में अतिरिक्त व्यय राशि - 1025826/- केआरपी के यात्रा भत्ता मद में अतिरिक्त व्यय राशि - 306548/- कुल अतिरिक्त व्यय राशि - 1332374/- जिसका विस्तृत ब्यौरा संलग्न है। जो कुल 13,32,374 रु. है। उक्त प्रशिक्षण में हुए अतिरिक्त व्यय के एमएमईआर मद से व्यय के पुनर्भरण की अनुमति हेतु प्रकरण निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	● प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये जिलों द्वारा प्रेषित व्यय की वित्त नियंत्रक (रामाशिप) द्वारा परीक्षण किया जावे। ● शिक्षकों की संख्या के अनुपात में पानी व कूलर आदि के व्यय का पुनर्भरण किया जाये।

13	प्रस्ताव संख्या-13 रमसा वेबपोर्टल अन्तर्गत शाला दर्पण प्रकोष्ठ-जयपुर एवं बीकानेर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वेबपोर्टल हेतु डाटा संकलन, सत्यापन एवं फिल्ड मॉनिटरिंग का कार्य प्रत्येक स्तर पर नियमित किया जा रहा है। जो मोबाईल सुविधा के अभाव में संभव नहीं है, और इस हेतु निष्पादन समिति की बैठक में निर्णय पारित भी किया जा चुका है। MHRD से प्राप्त पत्र क्रमांक F.N. 1-13/2016 RMSA-I Dated 9th November, 2016 अनुसार Students Database Management Information System- SDMI हेतु 1 रुपये प्रति विद्यार्थी के हिसाब से MMER से व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। शैक्षणिक सत्र 2016-17 में कक्षा 9-12 में 1968983 विद्यार्थी अध्ययनरत है। 1 रुपये प्रति विद्यार्थी के हिसाब से यह राशि 1968983 रुपये हो जाती है। राज्य में विद्यार्थियों के डाटा कलेक्शन का कार्य शाला दर्पण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। शाला दर्पण प्रकोष्ठ हेतु स्टेशनरी, मोबाईल व्यय, पुनर्भरण, फर्नीचर, Computer Accessories, इंटरनेट आदि पर RMSA MMER मद से व्यय किया जा सकता है। अतः शाला दर्पण प्रकोष्ठ-जयपुर एवं बीकानेर में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाईल फोन के उपयोग पर हुए व्यय हेतु रु 600/- प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति की अधिकतम सीमा तक पुनर्भरण भुगतान एवं शाला दर्पण प्रकोष्ठ के स्टेशनरी, फर्नीचर, कम्प्यूटर एसेसरी, इंटरनेट एवं अन्य आकस्मिक कार्यालयिक व्यय के भुगतान की व्यवस्था रमसा एम.एम.ई.आर. मद से किया जाने हेतु निष्पादक समिति से अनुमोदन हेतु प्रस्ताव सादर प्रस्तुत है।	अनुमोदित किया गया।
14	प्रस्ताव संख्या-14 रामाशिप कार्यालय में वाहन चालक की आवश्यकता पूर्ति हेतु REXCO से लिया जाना निष्पादक समिति की पन्द्रहवी बैठक (दि. 07.07.2015) से अनुमोदित है। बार-बार के प्रयास पश्चात् भी मात्र एक वाहन चालक उपलब्ध करवाया गया तथा वह भी मात्र तीन माह की सेवा उपरान्त गत दो माह से कार्य छोड़ चुका है। इस प्रकार REXCO द्वारा उपलब्ध करायी गई सेवाएं संतोषजनक नहीं है। बार-बार आग्रह करने पर भी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अतः किसी अन्य संस्था से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर दो वाहन चालकों की सेवाएं लिया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	उक्त सेवा हेतु JCTSL (Jaipur City Transport Service limited) से उपलब्धता के प्रयास किये जावे।
15	प्रस्ताव संख्या-15 मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक 980 दिनांक 12.10.2012 (अनुलग्नक-'A') द्वारा भवन निर्माण एवं विशेष मरम्मत के कार्यों के लिये Defect Liability Period 3 वर्ष निर्धारित है। तदनुसार निर्माण कार्यों की बेहतर गुणवत्ता एवं रखरखाव सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों में भी भवन निर्माण एवं विशेष मरम्मत कार्यों के लिये Defect Liability Period 3 वर्ष किया जाना प्रस्तावित हैं। प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	अनुमोदित किया गया।
16	प्रस्ताव संख्या-16 पी.ए.बी. वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा यू-डाईज 2015-16 के आधार पर 224 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सुदृढीकरण कार्यों की स्वीकृति जारी की गई थी, जिनमें से 19 विद्यालय विगत वर्षों में हुयी पीएबी के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत हो चुके थे अथवा इनमें अन्य योजना में कार्य पूर्ण हो चुका था या भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य नहीं कराया जा सकता था। उक्त 19 विद्यालयों के स्थान पर अन्य लम्बित प्रस्तावों में से यू-डाईज गैप के अनुसार स्वीकृत कुल इकाई संख्या एवं कुल लागत समान रखते हुये अध्यक्ष निष्पादक समिति रामाशिप के अनुमोदन से अन्य 19 विद्यालयों के संशोधन के पश्चात् निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी की गई थी, (अनुलग्नक-'B') जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति निष्पादक समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	अनुमोदित किया गया।

17 प्रस्ताव संख्या-17

व्यावसायिक शिक्षा योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा एन.एस.क्यू.एफ. के दिशा-निर्देश अनुसार पूर्व में चयनित विद्यालयों के व्यावसायिक प्रशिक्षकों की पांच दिवसीय प्रशिक्षण हेतु 3000/- रु. प्रति प्रशिक्षक तथा नये चयनित विद्यालयों के व्यावसायिक प्रशिक्षकों के 20 दिवसीय सघन प्रशिक्षण हेतु 11000/- रु. प्रति प्रशिक्षक अनुमोदित किये गये हैं (अवलोकनार्थ ध्वज-अ)। इस सम्बन्ध में एन.एस.डी.सी. के प्रतिनिधि श्री चिरंजीव गुहा से वार्ता की गई, उनके अनुसार न्यूनतम 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिये जाने की सलाह दी गई।

वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा योजना अन्तर्गत पूर्व के 580 व्यावसायिक प्रशिक्षक व चालू सत्र के 760 व्यावसायिक प्रशिक्षक अर्थात् कुल 1340 व्यावसायिक प्रशिक्षक कार्यरत हैं तथा 20 सेवा प्रदाताओं के 46 व्यावसायिक समन्वयक कार्यरत हैं। इस प्रकार लगभग 1386 प्रशिक्षणार्थियों को सत्र 2016-17 में 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है साथ ही 670 संस्था प्रधानों का 1 दिवसीय आमुखीकरण किया गया। इन व्यावसायिक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण ट्रेड अनुसार किया जाता है, जिसमें कि एन.एस.डी.सी., वाधवानी फाउन्डेशन, सम्बन्धित ट्रेड के सेक्टर स्कील काउन्सील तथा पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई., भोपाल के प्रतिनिधि संदर्भ व्यक्ति के रूप में आते हैं। वह बार-बार प्रशिक्षण हेतु जयपुर नहीं आ सकते। अतः प्रशिक्षण एक साथ कराया जाना होता है। जयपुर में किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में 1340 प्रशिक्षणार्थियों को एक साथ प्रशिक्षण दिये जाने की सुविधाएँ व 150 से 160 संभागियों की आवास व्यवस्था एक साथ उपलब्ध होना कठिन होता है।

अतः निम्न स्थानों पर प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित तिथियों पर आवास, भोजन व प्रशिक्षण हॉल की उपलब्धता के आधार पर प्रशिक्षण करवाया जा सकता है। अतः निम्न स्थान/संस्थान के आवास, भोजन व प्रशिक्षण हॉल की दरों की स्वीकृति हेतु निष्पादक समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं :-

संस्थान का नाम	आवास एवं भोजन प्रति संभागी प्रति दिवस दर	प्रशिक्षण हॉल प्रति दिवस	ऑडिटोरियम प्रति दिवस
बोध शिक्षा समिति, कूकस	550/-	2000/- with projector	5000/- with projector
विवेकानन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, जगतपुरा	428/-	2000/- with projector	5000/- with projector
इन्स्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप, जामडोली	400/-	1500/- and 2500/- with LCD	
सीकोडीकोन, सीतापुरा	500/-	4000/- and 1000/- LCD Projector	6000/- and 1000/- LCD Projector

संलग्न :- सम्बन्धित संस्थानों की दर सूची।

उक्त दरें व्यावसायिक शिक्षा योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु प्रावधित दरों के अन्तर्गत ही हैं।

प्रस्ताव निष्पादन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अनुमोदित किया गया।

नोट - अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार निष्पादक समिति बैठक में उपशासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग तथा विशेषाधिकारी शिक्षा (ग्रुप-1) को भी भविष्य में होने वाली रामाशिप की निष्पादक समिति बैठकों में इन अधिकारियों को आमंत्रित किया जावे।

(जस्साराम चौधरी)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर